राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

:प्रेस–नोटः– दिनांक : 31/08/2016

बोर्ड द्वारा दिनांक 21.08.2010 आयोजित संकलन कर्ता एवं अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2016 परीक्षा कोड 6 व 7 के प्रश्न पत्र तथा उनकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित प्रश्न अथवा उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 02.09.2016 से दिनांक 04.09.2016को रात्रि 12.00 बजे तक अपनी ऑनलाईन आपत्ति बोर्ड की वेबसाईट पर दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग–अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। अपलोड किये गये प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराये गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग–अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिये गये विकल्पों का क्रम भी अपलोड किये गये प्रश्न पत्र के प्रश्न के ऊपर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। **अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियाँ दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें।**

बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क रू. 100/– निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी अपनी एप्लीकेशन आई.डी., जन्म तिथि तथा कितने प्रश्नों पर आपत्तियाँ करनी है, उसके अनुसार ई–मित्र कियोस्क पर प्रति प्रश्न रु 100/– की दर से टोकन कटायें। ई–मित्र कियोस्क संचालक द्वारा प्रति टोकन आपरेशन शुल्क रूपये 20/– अलग से वसूल किया जावेगा। परीक्षार्थी स्वयं भी ई–मित्र वेब पोर्टल पर ऑनलाईन नेट–बैंकिग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से भी टोकन कटवा सकते है। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी । ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 02.09.2016 से दिनांक 04.09.2016 को रात्रि 12.00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।** आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जायेगी। आपत्तियों के लिये पोर्टल पर standard, Authentic पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाईन संलग्न करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का रिफण्ड नहीं होगा। अतः वे आवश्यक शुल्क ही जमा कराने हेतु टोकन कटावें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
सचिव

क्रमांक : SPL – 767 दिनांक. 31/8/2016

प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है। कृपया इसका निम्नांकित समाचार पत्रों के नवीनतम संस्करण में निःशुल्क प्रकाशन करावें :–

(1) राजस्थान पत्रिका
(2) दैनिक नवज्योति
(3) दैनिक भास्कर
(4) राष्ट्रदूत

उप सचिव 31/8/16